TEN RUPEES FIVE RUPEES

न्यायालय खण्ड

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, जबलपुर (म.प्र.)

74

राजस्व प्रकरण क्रं. /03

रिव्यू 1497-III/03

आवेदक - डा. पी.सी.जैन आत्मज चौधरी चन्द्रभान जैन निवासी 916 लार्डगंज, जबलपुर

श्री आर.के. चिल्के अभि. द्वारा दिनांक 1-10-03 को जबलपुर केम्प पर प्रस्तुत। 1-10-03

//विरुद्ध//

अनावेदकगण - (1) गुलाबचंद जैन आ. स्व. चन्द्रभान जैन उम्र 65 वर्ष

(2) अशोक कुमार जैन उम्र 54 वर्ष आ. चन्द्रभान जैन

दोनों निवासी 916 लार्डगंज, जबलपुर

(3) म.प्र.शासन

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू राजस्व संहिता ।

आवेदक राजस्व मंडल द्वारा निगरानी प्रकरण क्रं. 260/4/03 गुलाबचंदजैन एवं अन्य वि0 म.प्र.शासन में पारित आदेश दिनांक 23.4.03 से विक्षुब्ध होकर यह पुर्नविलोकन याचिका निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है ।

// तथ्य //

(1) यह कि ग्राम माढ़ोताल प.ह.नं. 25/31 में स्थित भूमि खसरा नं. 203/1 रकबा 1.668 ( ) हेक्टेयर एवं खसरा नं. बाहर 204/6 ( ) रकबा 0.170 हेक्टेयर का रिकार्डिड भूमि स्वामी आवेदक था । राजस्व प्रकरण क्रं. 1/अ/27/86-87 में पारित आदेश दिनांक 1.7.87 के द्वारा उक्त भूमि का बंटवारा किया गया ...3 जिसके अनुसार आवेदक और अनावेदक एवं आवेदक की 6 बह प्रत्येक को 16146 वर्गफुट भूमि आवंटित की गई एवं शेष भूमि

Rev. 1497. /03

6-5-16

आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता 26 पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहा है । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

सदस्य